

Title: Regarding railway facilities for the season ticket holding passengers in Maharashtra.

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में रेलवे द्वारा प्रति माह लगभग चार हजार मासिक सीजन टिकट दिये जाते हैं। यह धनराशि यात्रा पूर्व प्रति माह रेलवे को एम.एस.टी. के रूप में यात्रियों द्वारा प्रदान की जाती है।

अतः रेलवे द्वारा इस लाइन पर लोकल ट्रेनें डाली नहीं जातीं। इसलिए इन मासिक टिकट धारकों को सुपरफास्ट और एक्सप्रेस से आना जाना पड़ता है। मासिक टिकट की सुविधा दैनिक यात्रियों के लिए दी गई है। इस सुविधा के अंतर्गत सीजन टिकट यात्रियों को भी रेलवे द्वारा सुविधा देना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यह सुविधा प्रदान न करते हुए सिर्फ आरक्षित यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि मासिक सीजन टिकट यात्रियों के लिए उपर्युक्त रेलवे स्टेशन से सुपरचार्ज का बंधन हटा दिया जाना चाहिए या सुपरफास्ट में एमएसटी यात्रियों के लिए बोगी लगाने की व्यवस्था करें। यदि सुपरचार्ज लगाने के लिए कोई आर्थिक आपत्ति है तो रेलवे द्वारा मासिक सीजन टिकट में कम से कम सुपरचार्ज का अतिरिक्त भुगतान जोड़कर मासिक सीजन टिकट रेलवे टिकट धारकों को उपलब्ध कराया जाए। अतः काज़ीपेट पैसेन्जर 3355 अपऔर 3356 डाउन पहले जैसी चलाई जाए। मासिक सीजन टिकट करीब 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए दिया जाना चाहिए। सरकार आने जाने के लिए विद्यार्थियों को कन्सैशनल पास प्रदान करती है तो प्रतिदिन सुपरचार्ज वहन करना इन प्रवासी यात्रियों और विद्यार्थियों के लिए आर्थिक दृष्टि से कठिन है। कृपया उपर्युक्त मुद्दों पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।